



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102024-258323
CG-DL-E-29102024-258323

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4341]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 29, 2024/ कार्तिक 7, 1946

No. 4341]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 2024/KARTIKA 7, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4717(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उप जिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी क्र १७, पुणे २ रा मजला, ब विंग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कैम्प, पुणे (NH-761) महाराष्ट्र राज्य के कि.मी 0.00 कि.मी से 5.2 कि.मी तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-761 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उप	राष्ट्रीय	महाराष्ट्र	पुणे	जुन्नर	1 रानमळावाडी

	जिल्हाधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी क्र १७, पुणे	राजमार्ग संख्या NH761 के कि.मी 0 से कि.मी 5.2 तक				2	बेल्हे
--	---	---	--	--	--	---	--------

[फा. सं. RO/MUM/NH(O)/2023-24/59]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi the 29th October, 2024

S.O. 4717(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 0 to 5.2 of Deputy Collector and Special Land Acquisition Officer no 17(SLO17), Pune 2nd floor, B Wing, Collector office, Camp Pune (NH761) in the State of MAHARASHTRA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-761 in the State of MAHARASHTRA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Dy.Collector & SPLOfficer No- 17,Pune	NH761 KM 0 TO KM 5.2	MAHARASHTRA	PUNE	Junnar	1 Ranmalawadi 2 Belhe

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2023-24/59]

ABHAY JAIN, Director